FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं बनाम नन्दलाल व अन्य

करम मुकदमा .... नं0 64/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसाार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	
18.06.2019	पत्रावली पेश हुई। सभी पक्षकार उप. नही है। अत: पत्रावली दिनांक 27.06.19 को पेश हो। [signature]	नकल
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व पक्षकारगण उप०। उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि मौजा आमल्दा मे आ.न. 854/808 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे नाम गलत हो रहा है व हिस्से दर्ज नही होने से आपसी सहमती से सही खाता निम्नानुसार होना बताया। श्री नंदलाल पिता हीरा 1/4 रूपलाल पि. सेवा 1/4 काना पि. होकमा 1/2 बलाई सा. देह खा. रहन बदस्तुर। सहखातेदारो द्वारा बताये हिस्से व खातेदारो का नाम हमने मजमे आम में रखा जिसके सही होने की पुष्टि सभी ने की। अत: सभी पक्षकारो की सहमती स्वरूप मौका पर्चा तैयार करा सभी के हस्ताक्षर कराये गए।	कार्य 21 [illegible] उप [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

अतः सहखातेदारो की सहमती, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश / परिपत्र क्रमांक / BR / LR / NLRMP / F-126 / पार्ट-2 / 10164-96 दिनांक 26.09.2017 के निर्देशानुसार उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्से की घोषणा व खातेदार का नाम दुरुस्त किया जाकर घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 64/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

......................वादी

बनाम

1. श्री नन्दलाल पिता हीरा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. " रूपलाल पिता सेवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. " काना पिता होकमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. " काना पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. " होकमा पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 05 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 862 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 97 सम्वत 2071–74 मे अंकित आराजी संख्या 854/808 रकबा 0.49 हैक्टर में हिस्से दर्ज नहीं होना व उक्त खाते में गलत नाम दर्ज होने से शुद्धि बाबत वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि उक्त आराजी श्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ द्वारा मिसल नं0 3023
वर्ष 1983 से सेवा पिता भैरू व काना पिता होकमा के नाम आवंटन हुई परन्तु रेकार्ड नामान्तरण संख्या 132 मे सेवा काना होक्मा पिता भैरू दर्ज कर दिया जो सही नहीं है। उक्त आराजी संख्या 854/808 रकबा 0.49 हैक्टर में सही नाम सेवा पिता भैरू व काना पिता होकमा का नाम 1/2–1/2 दर्ज होना चाहिये। सेवा पिता भैरू की विरासत व हकत्याग से

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चितौडगढ़)

लगातार

Scanned by CamScanner

नन्दलाल पिता हीरा 1/4, रूपलाल पिता सेवा 1/4 दर्ज होना चाहिये। उपस्थित पक्षकारो ने उक्त प्रकार खाते में दुरूस्ती हेतु सहमती जताई व हस्ताक्षर कराये गये।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, **DILRMP** के तहत प्रत्येक खातेदार के हिस्से दर्ज करने के निर्देश होने से उक्त खाता ग्राम आमल्दा खाता संख्या 97 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 854/808 में स्थित रकबा 0.49 हैक्टर भूमि में नंदलाल पिता हीरा 1/4, रूपलाल पिता सेवा 1/4, काना पिता होकमा 1/2 बलाई सा.देह अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा खाता संख्या 97 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 854/808 में स्थित रकबा 0.49 हैक्टर भूमि में काना होकमा पिता भैरू का नाम विलोपित किया जाकर खाता नंदलाल पिता हीरा 1/4, रूपलाल पिता सेवा 1/4, काना पिता होकमा 1/2 बलाई सा.देह रहन बदस्तूर रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 64/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. श्री नन्दलाल पिता हीरा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. " रूपलाल पिता सेवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. " काना पिता होकमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. " काना पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. " होकमा पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा खाता संख्या 97 सं. 2071 से 74 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 854/808 में स्थित रकबा 0.49 हैक्टर भूमि में काना होकमा पिता भैरु का नाम विलोपित किया जाकर खाता नंदलाल पिता हीरा 1/4, रूपलाल पिता सेवा 1/4, काना पिता होकमा 1/2 बलाई सा.देह रहन बदस्तूर रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner